तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	19.5.22 दलील प्रार्थी उप० / सहक सुनी गयी। फाइल आदेश हेतु दिनांक 13.6.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	13.6.22 आ.सा. राजकार्य / भ्रमण / मिटिंग / कैम्प में व्यस्त अवकाश में होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 14-6-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
	14.6.22 दलील प्रार्थी उप०। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने आराजी ख० नं. 165/2, 166, 167, 210/1, का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में से 4 बीघा 2 बिस्वा हरिमोहन पुत्र अर्जुन मीना की खातेदारी में से खरीदा था। जिसका नामान्तरकरण सं. 472/ दिनांक 3-4-2000 को खोला गया। जिससे प्रार्थीगण का नाम राजमोहन, रकेश कुमार पिसरान अर्जुन मीना दर्ज है। लेकिन सेटल-मेन्ट के बाद बनी जमाबंदी में राजाराम, मुकेश कुमार दर्ज पिसरान अर्जुन मीना दर्ज हो गया। जिसे शुद्ध किया जावें। इसके समर्थन में मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबंदी एवं पुरानी जमाबंदी संवत् 2050-53 पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही

(हस्ताक्षर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
की गई। बहस प्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस वही तथ्य दोहराए, जो प्रार्थना पत्र में दर्ज है। यह तथ्य प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2050-53 खाता सं० 141 पर लगे नोट नामान्तरकरण सं० 472 दिनांक 3-4-2000 से यह सिद्ध पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण में राजमोहन व राकेश कुमार पिसरान अर्जुन मीना के हक में नामान्तरकरण का नोट दर्ज है। कालान्तर के बाद सेटलमेन्ट हाल ख० नं० 300, 301, 404 कायम किए गए। जिनका इन्द्राजात जमाबंदी संवत् 2071-74 एवं संवत् 2063 के राजाराम मुकेश कुमार पिसरान अर्जुन कौम मीना साकिन देह दर्ज हो गया। इसके संबंध मे तहसीलदार बौंली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। जिसमें प्रार्थी के आवेदन अनुसार शुद्ध करने की अनुशंषा की गयी। अतः हमारे विनम्र अभिमत मे राजाराम के स्थान पर राजमोहन एवम् मुकेश कुमार के स्थान पर राकेश कुमार शुद्ध करना न्यायहित मे उचित है। उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य मे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बौंली को निर्देश दिए जाते हैं कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071-74 खाता सं० 137 ग्राम पीलूखेडा कलां मे राजाराम के स्थान पर राजमोहन एवम् मुकेश कुमार के स्थान पर राकेश कुमार शुद्ध किया जावे। आदेश आज दिनांक 14-6-22	

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को मुझे न्यायालय मे लिखाया और हस्ताक्षरित कर उपस्थित किया गया। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।